न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120014482022
परिवाद संख्या–88/2022
मलिका बेगम बनाम बाबू खां आदि।
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–19.10.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि प्रार्थिनी का निकाह दिनांक 04.12.2017 को विपक्षी संख्या 1 बाबू खां के साथ सम्पन्न हुई। दान, दहेज अपनी हैसियत से माता–पिता ने दिया, जिसमें मोटर साइकिल,सोने की वस्तु व अन्य कीमती चीजें थीं। मेरे साथ बाबूखान, रजिया, शकील, सलीम, नसीवन मारपीट करते हैं तथा परेशान करते हैं। जान से मारने की धमकी सभी लोग देते हैं। मेरी एक बेटी है, जिसका नाम जोया है। खाना नहीं देते हैं। 5,00,000/–रुपये की मांग करते हैं। घर में रहने नहीं देते हैं। मेरे भाई की पत्नी को मेरे पति रखते हैं। मेरे साथ गाली–गलौज करते हैं।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 कमरुद्दीन व साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 बलराम दुबे को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, दो किता मूला रजिस्ट्री रशीद, मोटर साइकिल की रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति स्वामिनी परिवादिनी, शादी कार्ड की छायाप्रति व एक किता आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण बाबू खान, रजिया, शकील, सलीम व नसीवन के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण बाबू खान, रजिया, शकील, सलीम व नसीवन के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 23.11.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738